



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 9 नवम्बर, 2021

कार्तिक 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 894/79-वि-1-21-2-क-10-2021

लखनऊ, 9 नवम्बर, 2021

अधिसूचना विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदया, द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2021) जिससे परिवहन अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2021)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 21
सन् 1997 की
धारा 10 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में, उपधारा (3) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि जहाँ यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहाँ इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।”

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 894 (2)/LXXIX-V-1-21-2-ka-10-2021

Dated Lucknow, November 9, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yaan Karadhaan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 9 of 2021) promulgated by the Governor. The Parivahan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 9 OF 2021)

[Promulgated by the Governor in the Seventy second Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and
commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, in sub-section (3) *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

Amendment of section 10 of U. P. Act no. 21 of 1997

"Provided also that where the operation of vehicles are permitted exclusively in free zone declared in the reciprocal agreement between the State of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh wherein tax exemption is also allowed, the tax payable under this section shall be exempted wholly or partially in accordance with the said agreement in the Chitrakoot Local Area."

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.